भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2161

सोमवार, 5 अगस्त, 2024/14 श्रावण, 1946 (शक)

गिग कामगार

2161. श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कैलेंडर वर्ष 2024 में गिग कामगारों की मांग दस गुना बढ़ गई है जबकि गिग वर्करों की भागीदारी तीन गुना बढ़ी है और यदि हां, तो 2015 से अब तक तत्संबंधी तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गिग अर्थव्यवस्था में युवाओं की भागीदारी आठ गुना बढ़ गई है और प्लेटफॉर्म पर 49 प्रतिशत गिग वर्कर 25 वर्ष से कम आयु के हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने गिग की अवधारणा को पूर्णत: स्वीकार किया है जिसे व्यापक स्वीकृति मिल रही है, क्योंकि युवाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है, जो गिग जॉब भूमिकाएं लेना पसंद कर रहे हैं और महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है और उन्हें मुख्य रुप से ग्राहक सहायता, सामग्री निगरानी और मॉडरेशन, टेली-बिक्री और संपरीक्षा और सर्वेक्षण से संबंधित भूमिकाओं में नियोजित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): नीति आयोग द्वारा जून 2022 में प्रकाशित "इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी" शीर्षक से अपनी रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार, देश में गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों की संख्या वर्ष 2020-21 में 7.7 मिलियन थी, जिसके वर्ष 2029-30 तक बढ़कर 23.5 मिलियन होने की आशा है।

इस रिपोर्ट में गिग-प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि और भारत के आर्थिक उत्पादन में इसके योगदान का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था द्वारा दिए जाने वाले लाभों में व्यवसाय में आसानी से प्रवेश तथा सुगम्यता और नामांकन में आसानी से लेकर समय के लचीलेपन तक डिजिटल प्लेटफॉर्म में विशेषरूप से महिलाओं और निःशक्तजनों के लिए आजीविका के अवसर सृजित करने की अपार क्षमता है।
